मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 65/2020 सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 29.10.2020 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 18.11.2020 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस का कार्यवृत्त।

उक्त वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 18.11.2020 में अपर मुख्य सचिव, गृह, पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सचिव, राजस्व परिषद एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा वीडियो कान्फ्रेंस में समस्त 75 जनपदों के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे।

2— मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 65/2020, सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 29.10.2020 को आदेश पारित किया गया है कि मुख्य सचिव स्तर से आदेश की तिथि से 01 माह के अन्दर समस्त जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समस्त वाटर बॉडीज को चिन्हित करने व प्रोटेक्शन हेतु यूनीफॉर्म एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिये जायें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रश्नगत वाद में सुनवाई की अग्रिम तिथि 17.03.2021 नियत की गयी है। प्रश्नगत आदेश में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मुख्य रूप से झीलों, तालाबों एवं वाटर बाडीज़ पर हुये अतिक्रमण के दृष्टिगत उन्हें चिन्हित कर उनके अतिक्रमण को एक कार्ययोजना बनाकर हटाते हुये उनके पुनर्जीवन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3— उक्त के अतिरिक्त मा0 अधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0 325/2015, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओवेरॉय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 25.02.2020 एवं 01.06.2020 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 16.07.2020 को समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि तालाबों, झीलों एवं वेटलैण्ड्स के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजनायें तैयार करते हुए दिनांक 31.08.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जायें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस संबंध में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर वेटलैण्ड के पुनर्जीवन एवं चिन्हिकरण हेतु संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को दिनांक 23.07.2020 को प्रशिक्षित भी किया गया तथा एक गाईडलाईन भी निर्गत कर प्रसारित की गई है। अग्रेत्तर मा0 अधिकरण द्वारा समयान्तर्गत 31.08.2020 तक वेटलैण्ड पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजनायें प्रस्तुत नहीं करने की दशा में राज्य सरकार पर रू0 01 लाख प्रतिमाह अर्थदण्ड लगाये जाने के भी आदेश दिये गये हैं।

4— सचिव, राजस्व परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत कब्जों को संक्षिप्त बेदखली की प्रकियानुसार हटाया जा सकता है तथा समस्त जिलाधिकारियों द्वारा तालाबों/झीलों से अवैध कब्जे हटाने की स्थिति की सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in के मुख्य पृष्ठ (main page) पर उपलब्ध **'विभागीय**

महत्वपूर्ण लिंक' में 'राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों, झीलों एवं वाटर बाडीज से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना' पर विलम्बतम 28.11.2020 तक अनिवार्य रूप से अपलोड की जाय।

अन्त में समस्त जिलाधिकारियों को मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेशों के अनुपालन हेतु निम्नवत् समयबद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये :–

1– समस्त झीलों, तालाबों एवं वाटर बाडीज़ को राजस्व अभिलेखों के आधार पर चिन्हित करते हुये उनमें हुये अतिक्रमण आदि की मैपिंग प्राथमिकता के आधार पर कर ली जाय।

2– चिन्हित अतिक्रमणों को संक्षिप्त बेदखली की प्रकियानुसार हटाये जाने हेतु एक्शन प्लान बनाकर अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अभियान चलाया जाय तथा अतिक्रमण हटाये जाने की स्थिति की सूचना राजस्व परिषद की वेबसाइट bor.up.nic.in के मुख्य पृष्ठ (main page) पर उपलब्ध **'विभागीय महत्वपूर्ण लिंक'** में **'राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाबों, झीलों एवं वाटर बाडीज से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में सूचना'** पर विलम्बतम 28.11.2020 तक अनिवार्य रूप से अपलोड की जाय।

3– वाटर बाडीज़ के कब्जों को हटाकर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी मार्गदर्शिका की सहायता से उनके पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजनायें बनाकर विलम्बतम् दिनांक–28.11.2020 तक पर्यावरण विभाग (ईमेल–soenvups@rediffmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ईमेल–ms@uppcb.com) को प्रेषित की जाय।

अन्त में वीडियो कान्फ्रेंस बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

Digitally signed by Rajendra Kumar Tiwari
Date:Tue Nov 24 18:42:27 IST 2020
Reason:Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या–N.G.T.–600/81–7–2020–02(रिट)/2017
लखनऊ : दिनांक : 27 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह, नगर विकास, अवस्थापना एवं

औद्योगिक विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, कृषि, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
3– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4– प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
5– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7– समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, उ0प्र0।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।